रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2004/आषाढ़ 8, 1926
No. 137] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2004/ASADHA 8, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2004

भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बॉण्ड, 2015 की बिक्री के लिए नीलामी

एफ. सं. 4(8)-डब्ल्यू एंड एम/2004.— भारत सरकार एतद्द्वारा 6,000 करोड़ रुपए की कुल राशि के 11 वर्षीय अवधि के अस्थायी दर वाले बांडों (जिन्हें इसके बाद 'बाण्ड' कहा गया है) की बिक्री अधिसूचित करती है। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना संख्या 4(9)-डब्ल्यूएण्डएम/2000 दिनांक 6 मई, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों, जिसे समय-समय पर संशोधित किया है, के अधीन की जाएगी।

निर्गम की विधि

2 (i) बांड की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक लोक ऋण कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई-400001 के माध्यम से नीलामी के द्वारा की जाएगी ।

(ii) बांड पर देय ब्याज की दर परिवर्ती आधार दर पर " विस्तारित " दो दशमलव स्थानों तक निर्धारित की जाएगी और जिसका निर्धारण नीलामी द्वारा किया जाएगा (नीचे उप पैराग्राफ 8 (iii) देखें)।

(iii) परिवर्ती आधार दर पर विस्तार का निर्णय नीलामी में किया जाएगा और यह बांड की पूरी अवधि तक निर्धारित रहेगी।

(iv) दो दशमलव स्थानों तक व्यक्त और पूर्णांकित परिवर्ती आधार पर विस्तारित बोली को आवेदन में स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाना चाहिए।

(v) समरूप मूल्य नीलामी विधि का प्रयोग करते हुए नीलामी संचालित की जाएगी, जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अधिकतम विस्तार सहित और उस तक प्रस्तावित बोली इस प्रकार विस्तारित निर्धारण के अधिकतम दर पर स्वीकार की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार निर्धारित विस्तारित दर से अधिक दी गई बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी।

(vi) आवेदक विभिन्न विस्तारों पर, जैसा भी मामला हो, पर प्रत्येक बोली के लिए पृथक आवेदन के माध्यम से एक से अधिक बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत बोलियों की कुल राशि बिक्री के लिए प्रस्तावित बांड की कुल राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(vii) भारतीय रिजर्व को बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी बोलियों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

3. बांड की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5% तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों तथा संस्थाओं को सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की संलग्न स्कीम **(अनुबंध-I)** के अनुसार किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

4. नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय, फोर्ट मुंबई-400001 द्वारा 1 जुलाई, 2004 को संचालित की जाएगी। बोलियों सहित विधिवत भरे गए आवेदन-पत्र 1 जुलाई, 2004 को 12.30 अपराह्न तक उपर्युक्त कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए।

अवधि

5. अस्थायी दर वाले बांड ग्यारह वर्ष की अवधि के होंगे। बांड की अवधि दिनांक 2 जुलाई, 2004 से प्रारंभ होगी। बांड की वापसी-अदायगी दिनांक 2 जुलाई, 2015 को सममूल्य पर की जाएगी।

निर्गम मूल्य

6. अस्थायी दर बांड, 2015 को सममूल्य पर अर्थात् 100.00 रूपए प्रतिशत पर जारी किया जाएगा।

निर्गम की तारीख और बांड के लिए भुगतान

7. इस नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने लोक ऋण कार्यालय, फोर्ट मुंबई में दिनांक 1 जुलाई, 2004 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान दिनांक 1 जुलाई, 2004 (शुक्रवार) अर्थात् निर्गम की तारीख को किया जाएगा।

ब्याज

8. (i) ब्याज दिनांक 2 जुलाई, 2004 (निर्गम की तारीख) से उपगत होगा और इसका भुगतान अर्द्धवार्षिक रूप से 2 जनवरी तथा 2 जुलाई को किया जाएगा।

(ii) बांड पर प्रतिवर्ष देय ब्याज की दर परिवर्ती आधार पर नीलामी में निर्णय किए जाने वाले "विस्तार" पर दो दशमलव स्थानों तक निर्धारित की जाएगी (नीचे उप-पैराग्राफ (iii)देखें)।

(iii) दिनांक 2 जुलाई, 2004 से 1 जुलाई, 2005 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान की परिवर्तनीय आधार दर निर्गम की तारीख के पूर्व भारत सरकार 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की हुई पिछली तीन नीलामियों के कट-ऑफ मूल्य पर स्पष्ट प्राप्ति के दो दशमलव स्थानों पर पूर्णांकित औसत दर होगी (कृपया उदाहरण के लिए **अनुबंध-II** देखें)। परवर्ती वार्षिक अवधियों को ब्याज के भुगतान की आधार दर संबंधित वार्षिक कूपन अवधि के प्रारंभ तक धारित भारत सरकार 364 - दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की पिछली तीन नीलामियों के कट-ऑफ मूल्य पर स्पष्ट प्राप्तियों की औसत दर (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) पर होगी। स्पष्ट प्राप्तियों का परिकलन वर्ष में 364 दिन मानकर किया जाएगा।

(iv) अस्थायी दर वाले बांड के चालू रहने के दौरान भारत सरकार 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की नीलामी समाप्त कर दिए जाने की दशा में, आधार दर वार्षिक कूपन अवधि प्रारंभ होने के पूर्व तीन सूचित शुक्रवारों को एक वर्षीय भारत सरकार प्रतिभूतियों के लिए विद्यमान परिपक्वता पर प्राप्ति (वाईटीएम) दरों का औसत होगी। उस स्थिति में यदि विशेष शुक्रवार अवकाश के दिन हो/हैं, तो पिछले कार्य दिवस की परिपक्वता दरों पर प्राप्ति को माना जाएगा।

(v) दिनांक 1 जुलाई, 2005 के लिए लागू ब्याज के भुगतान की आधार दर 4.52 प्रतिशत होगी। तद्नुसार, दिनांक 2 जनवरी, 2005 तथा 2 जुलाई, 2005 को अर्धवार्षिक रूप से भुगतान किए जाने वाले ब्याज की दर 4.52 प्रतिशत जमा नीलामी में निर्धारित विस्तारित दर होगी । परवर्ती वर्षों के दौरान बांड पर देय अर्द्धवार्षिक ब्याज की वार्षिक दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित वार्षिक कूपन अवधि के प्रारम्भ होने से पहले घोषित की जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

के. एस. मेनन, संयुक्त सचिव

अनुबंध-I

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम

I. कार्यक्षेत्र : सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की चयनित नीलामियों में 'अप्रतिस्पर्धी' आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोलियां स्वीकार की जाएंगी। प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के अन्तर्गत होगी।

II. पात्रता : भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदारी खुली होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :

1. जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाता (सीए) अथवा सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता नहीं रखते हैं ;
   अपवाद : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनके सांविधिक दायित्वों के दृष्टिगत रखते हुए इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा।

2. जो प्रति नीलामी दो करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) से अनधिक राशि के लिए एक ही बोली लगाते हैं ;
3. जो यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के माध्यम से अपनी बोली अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

अपवाद : ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा सहकारी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक में एस.जी.एल.खाता और चालू खाता रखते हैं, अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

III. व्यापकता : उपर्युक्त शर्तों के अधीन 'अप्रतिस्पर्धी' आधार पर फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं, भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित किसी अन्य कंपनी सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली है। बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए (अंकित मूल्य) और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में होगी जैसा अब तक दिनांकित स्टॉक के लिए है।

IV. अन्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देश :

1. खुदरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथमिक डीलर, जिनके माध्यम से वे भाग लेना चाहते हैं, के पास एक संघटक सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता रखना अनिवार्य नहीं होगा। तथापि, कोई भी निवेशक इस स्कीम के अधीन केवल एक बोली दे सकता है। इस आशय का वचन कि निवेशक केवल एक बोली दे रहा है, बैंक अथवा प्राथमिक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना आवश्यक होगा।

2. निश्चित आदेश के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर नीलामी के दिन कुल राशि के लिए एकल ग्राहक बोली प्रस्तुत करेगा। अलग-अलग ग्राहकों का ब्यौरा यथा- नाम, राशि आदि बोली के अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

3. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर को अप्रतिस्पर्धी खंड के अधीन आबंटन प्रतिलाभ/कीमत की उस भारांशित औसत दर पर होगी, जो प्रतिस्पर्धी बोली देने के आधार पर नीलामी में सामने आएगी। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक अथवा प्राथमिक डीलर ने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर लिया है या नहीं, निर्गम की तारीख को भुगतान प्राप्त करके बैंक या प्राथमिक डालर को प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी।

4. ऐसे मामले में, जहां बोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत) से अधिक है यथानुपात आबंटन किया जाएगा। आंशिक आबंटनों के मामले में, यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों का उचित आबंटन एक पारदर्शी तरीके से करें।

5. **ऐसे मामले में जहां बोली राशि प्रारक्षित राशि से कम हो, कमी को प्रतिस्पर्धी भाग में लिया जाएगा।**

6. प्रतिभूति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल एसजीएल रूप में जारी किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इसे या तो बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के मुख्य एसजीएल खाते अथवा सीएसजीएल खाते में जमा करेगा, जैसाकि उनके द्वारा निर्देश दिया गया है। मुख्य एसजीएल खाते में जमा करने की सुविधा एकमात्र उन निवेशकों की सेवा के प्रयोजनार्थ है जो उनके घटक नहीं हैं। अतः बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों को अप्रतिस्पर्धी बोलियों की निविदा देते समय उनके एसजीएल खाते और सीएसजीएल खाते में जमा होने वाली राशियों (अंकित मूल्य) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। बाद में निवेशक के अनुरोध पर मुख्य एसजीएल खाते से वास्तविक रूप में की गई सुपुर्दगी स्वीकार्य है।

7. यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का उत्तरदायित्व है कि वह ग्राहक को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करे। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहकों को प्रतिभूतियों का अंतरण निर्गम की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।

8. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को यह सेवा देने के लिए प्रति सौ रुपए छह पैसे तक दलाली/कमीशन/सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं। ऐसी कीमत बिक्री मूल्य में शामिल की जा सकती है या ग्राहकों से अलग से वसूल की जा सकती है। ऐसे मामले में जहां प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति की निर्गम तिथि के बाद प्रभावी होता हो, बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल राशि में निर्गम तिथि से उपचित ब्याज शामिल होगा।

9. प्रतिभूतियों की लागत, उपचित ब्याज जहां भी लागू हो, तथा दलाली/कमीशन/सेवा प्रभारों के लिए ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली, बैंक या प्राथमिक डीलर द्वारा ग्राहक के साथ की गई सहमति के अनुसार तैयार की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि कोई अन्य लागत, जैसे निधिकरण लागत को मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए या ग्राहकों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

V. बैंकों तथा प्राथमिक डीलरों को भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) के योजनांतर्गत संचालनों से संबंधित सूचना जो बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर समय-समय पर मंगाई जाए, प्रस्तुत करनी होगी।

VI. ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देश बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन है और तदनुसार, जब भी आवश्यकता होगी, योजना को संशोधित किया जाएगा।

अनुबंध-II

उदाहरण : अस्थायी दर वाले बांड,2015 पर देय आधार दर और ब्याज दर दिनांक 1 जुलाई, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लागू आधार दर का परिकलन

क्रम संख्या	नीलामी की तारीख	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य की दर पर स्पष्ट प्राप्ति @
1	26 मई, 2004	95.76	4.4277
2	09 जून, 2004	95.71	4.4823
3	23 जून, 2004	95.57	4.6353
		कुल	**13.5453**

आधार दर $\frac{13.5453}{3} = 4.5161$

दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकत = 4.52
यदि विस्तार का निर्णय नीलामी में हो = 0.35
(केवल एक उदाहरण)

वर्ष (2 जुलाई, 2004 से 1 जुलाई, 2005) के लिए प्रयोज्य ब्याज दर = 4.87 (प्रतिशत वार्षिक)

@ 364 दिन के वर्ष के लिए वार्षिकीकृत

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2004

Auction for Sale of Government of India Floating Rate Bonds, 2015

F. No. 4(8) W&M/2004.— Government of India hereby notifies sale of Floating Rate Bonds (hereinafter called 'the Bonds') of 11year tenure for an aggregate amount of Rs. 6,000 crore. The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification') as also the terms and conditions specified in the General Notification F.No. 4(9)-W&M/2000 dated 6th May, 2002 issued by Government of India as amended time to time.

Method of Issue

2. (i) The Bonds will be sold through the Reserve Bank of India, Public Debt Office, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400001 through auction.

(ii) The rate of interest payable on the Bonds shall be set up to two decimal places at a "spread" to be decided in the auction, on the variable base rate (see sub paragraph 8 (iii) below).

(iii) The spread over the variable base rate will be decided in the auction and will remain fixed throughout the tenure of the Bond.

(iv) The bid for spread on the variable base rate, expressed up to and rounded off to two decimal places should be clearly stated in the application.

(v) The auction will be conducted by using the Uniform Price Auction Method where bids offered up to and including the maximum spread as determined by Reserve Bank of India will be accepted at the maximum spread so determined. Bids quoted at spreads higher than the spread determined by Reserve Bank of India will be rejected.

(vi) Applicants may submit more than one bid at different spreads, as the case may be through separate applications for each bid. The aggregate amount of bids submitted by a person should not exceed the aggregate amount of the Bonds offered for sale.

(vii) The Reserve Bank of India will have the full discretion to accept or reject any or all bids either wholly or partially, without assigning any reason.

Allotment to Non-competitive Bidders

3. Bonds up to 5 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities **(Annexure I)**.

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, Public Debt Office, Mumbai Office, Fort, Mumbai on July 1, 2004. The application form duly filled in with the bids should be submitted to the aforesaid office on July 1, 2004 by 12.30 PM.

Tenure

5. The Floating Rate Bonds will be of eleven - year tenure. The tenure of the Bonds will commence from July 2, 2004. The Bonds will be repaid at par on July 2, 2015.

Issue Price

6. The Floating Rate Bonds, 2015 will be issued at par, i.e., at Rs. 100.00 per cent.

Date of Issue and Payment for the Bonds

7. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its Public Debt Office, Fort, Mumbai on July 1, 2004. The payment by successful bidders shall be made on July 2, 2004 (Friday), i.e., the date of issue.

Interest

8. (i) Interest will accrue from July 2, 2004 (date of issue) and will be payable every half-year on January 2 and July 2.

(ii) The rate of interest payable on the Bonds shall be set up to two decimal places at a "spread" to be decided in the auction, on the variable base rate (see sub paragraph (iii) below).

(iii) The variable base rate for payment of interest *for the one year period from* July 2, 2004 *to* July 1, 2005, shall be the average rate rounded off up to two decimal places, of the implicit yields at the cut-off prices of the last three auctions of Government of India 364 day Treasury Bills, held before the date of issue (Please see **Annexure II** for illustration). The base rate for payment of interest on subsequent annual periods shall be the average rate (rounded off up to two decimal places) of the implicit yields at the cut-off prices of the last three auctions of Government of India 364 day Treasury Bills held up to the commencement of the respective annual coupon period. The implicit yields will be computed by reckoning 364 days in a year.

(iv) In the event of Government of India 364-day Treasury Bill auctions being discontinued during the currency of the Bonds, the base rate will be the average of Yield to Maturity (YTM) rates prevailing for one year Government of India Security/ies, as on the last three reporting Fridays prior to the commencement of the annual coupon period. In case particular Friday/s is/are holiday/s, the yield to maturity rates as on the previous working day shall be taken.

(v) The base rate for payment of interest applicable for year ending July 1, 2005 shall be 4.52 per cent. Accordingly, the annual rate of interest payable half yearly on January 2, 2005 and July 2, 2005 will be 4.52 per cent plus the spread determined in the auction. The annual rate of interest payable half yearly on the Bonds during the subsequent years shall be announced by the Reserve Bank of India before the commencement of the relative annual coupon period.

By Order of the President of India

K. S. MENON, Jt. Secy.

ANNEXURE-1

Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities

I. Scope: With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities it is proposed to allow participation on *"non-competitive"* basis in *select* auctions of dated Government of India securities. Accordingly, non-competitive bids *up to 5 per cent* of the notified amount will be accepted in the auctions of dated securities. The reserved amount will be **within** the notified amount.

II. Eligibility: Participation on a non-competitive basis in the auctions of dated GOI Securities will be open to investors who satisfy the following:

1. do not maintain current account (CA) *or* Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks shall be covered under this Scheme in view of their statutory obligations.

2. make a *single* bid for an amount not more than Rs. two crore (face value) per auction.

3. submit their bid *indirectly* through any *one* bank or PD offering this scheme.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks that maintain SGL account and current account with the Reserve bank of India shall be eligible to submit their non competitive bids directly.

III. Coverage: Subject to the conditions mentioned above, participation on "non-competitive" basis is open to any person including firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI. The minimum amount for bidding will be Rs. 10,000 (face value) and thereafter in multiples in Rs. 10,000 as hitherto for dated stocks.

IV. Other Operational Guidelines:

1. It will *not* be mandatory for the retail investor to maintain a constituent subsidiary general ledger (CSGL) account with the bank or PD through whom they wish to participate. However, an investor can make only a single bid under this scheme. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to be obtained and kept on record by the bank or PD.

2. Each bank or PD on the basis of *firm* orders submit a single *customer bid* for the aggregate amount on the day of the auction. Details of individual customers' viz. name, amount, etc. shall be provided as an Annexure to the bid.

3. Allotment under the non-competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients.

4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), pro rata allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.

5. **In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion.**

6. Security would be issued *only* in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents. Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non-competitive bids the amounts *(face value)* to be credited to their SGL account and the CSGL account. Delivery in physical form from the main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.

7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within *five* working days from the date of issue.

8. The bank or PD can recover upto six paise per Rs100 as brokerage/commission/service charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients. In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue.

9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client. It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.

V. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.

VI. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified.

ANNEXURE II

Illustration: Base rate and rate of interest payable on Floating Rate Bonds, 2015
Calculation of Base Rate applicable for the Year ending July 1, 2005

Serial No.	Date of Auction	Cut-off Price	Implicit yield @ at cut-off price
1	26- May- 04	95.76	4.4277
2	09- June- 04	95.71	4.4823
3	23- June- 04	95.57	4.6353

Total = 13.5453

$$\text{Base Rate} = \frac{13.5453}{3} = 4.5151$$

Rounded off to two decimal places = **4.52**

If the spread decided in the auction is = **0.35**
(Only an example)

Interest Rate applicable for the year (July 2, 2004 to July 1, 2005) = **4.87** (Percent per annum)

@ annualised for 364 day year

1994 9/11/04

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2004

'6.13 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2028' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ. सं. 4(8)-डब्ल्यू एंड एम/2004(i).— भारत सरकार एतदद्वारा 2,000 करोड़ रुपए(नामिनल) की कुल राशि के लिए '6.13 प्रतिशत के सरकारी स्टॉक, 2028' की बिक्री(पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या 4(9)-डब्ल्यूएण्डएम/2000 दिनांक 6 मई, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी।

निर्गम की विधि

2. सरकारी स्टॉक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से दिनांक 6 मई,2002 की सामान्य अधिसूचना एफ. संख्या 4(9)-डब्ल्यूएंडएम/2000 के पैरा 5.1 में निर्धारित तरीके से अनेक मूल्य नीलामी विधि का प्रयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी द्वारा की जाएगी।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

3. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा ।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

4. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 1 जुलाई,2004 को संचालित की जाएगी। बोलियों सहित विधिवत भरे गए आवेदन-पत्र 1 जुलाई, 2004 को अपराह्न 12.30 बजे तक उपर्युक्त कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए।

अवधि

5. स्टॉक पच्चीस वर्ष की अवधि के लिए होगा जो 4 जून, 2003 से प्रारंभ होगा। स्टॉक की वापसी-अदायगी 4 जून, 2028 को सममूल्य पर की जाएगी।

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

6. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट, मुंबई कार्यालय में 1 जुलाई, 2004 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 2 जुलाई, 2004 अर्थात निर्गम की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्टाक के नामिनल मूल्य पर स्टॉक की अवधि शुरू होने की तारीख अर्थात् 4 जून, 2004 से 1 जुलाई, 2004 तक उपचित ब्याज शामिल होगा।

ब्याज

7. स्टॉक की अवधि की शुरूआत की तारीख से स्टॉक के नामिनल मूल्य पर प्रतिवर्ष 6.13 प्रतिशत की दर से ब्याज उपचित होगा तथा इसका भुगतान अर्ध-वार्षिक आधार पर 4 दिसम्बर तथा 4 जून को किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

के. एस. मेनन, संयुक्त सचिव

अनुबंध

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम

I. कार्यक्षेत्र : सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की चयनित नीलामियों में 'अप्रतिस्पर्धी' आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोलियां स्वीकार की जाएंगी। प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के अन्तर्गत होगी।

II. पात्रता : भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदारी खुली होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :

1. जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाता (सीए) अथवा सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता नहीं रखते हैं ;
   अपवाद : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनके सांविधिक दायित्वों के दृष्टिगत रखते हुए इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा।

2. जो प्रति नीलामी दो करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) से अनधिक राशि के लिए एक ही बोली लगाते हैं ;
3. जो यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के माध्यम से अपनी बोली अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

अपवाद : ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा सहकारी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक में एस.जी.एल.खाता और चालू खाता रखते हैं, अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

III. व्यापकता : उपर्युक्त शर्तों के अधीन 'अप्रतिस्पर्धी' आधार पर फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों,संस्थाओं, भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित किसी अन्य कंपनी सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली है। बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए (अंकित मूल्य) और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में होगी जैसा अब तक दिनांकित स्टॉक के लिए है।

IV. अन्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देश :

1. खुदरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथमिक डीलर, जिनके माध्यम से वे भाग लेना चाहते हैं, के पास एक संघटक सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता रखना अनिवार्य नहीं होगा। तथापि, कोई भी निवेशक इस स्कीम के अधीन केवल एक बोली दे सकता है। इस आशय का वचन कि निवेशक केवल एक बोली दे रहा है, बैंक अथवा प्राथमिक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना आवश्यक होगा।

2. निश्चित आदेश के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर नीलामी के दिन कुल राशि के लिए एकल ग्राहक बोली प्रस्तुत करेगा। अलग-अलग ग्राहकों का ब्यौरा यथा- नाम, राशि आदि बोली के अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

3. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर को अप्रतिस्पर्धी खंड के अधीन आबंटन प्रतिलाभ/कीमत की उस भारांशित औसत दर पर होगी, जो प्रतिस्पर्धी बोली देने के आधार पर नीलामी में सामने आएगी। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक अथवा प्राथमिक डीलर ने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर लिया है या नहीं, निर्गम की तारीख को भुगतान प्राप्त करके बैंक या प्राथमिक डालर को प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी।

4. ऐसे मामले में, जहां बोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत) से अधिक है यथानुपात आबंटन किया जाएगा। आंशिक आबंटनों के मामले में, यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों का उचित आबंटन एक पारदर्शी तरीके से करें।

5. **ऐसे मामले में जहां बोली राशि प्रारक्षित राशि से कम हो, कमी को प्रतिस्पर्धी भाग में लिया जाएगा।**

6. प्रतिभूति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल एसजीएल रूप में जारी किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इसे या तो बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के मुख्य एसजीएल खाते अथवा सीएसजीएल खाते में जमा करेगा, जैसाकि उनके द्वारा निर्देश दिया गया है। मुख्य एसजीएल खाते में जमा करने की सुविधा एकमात्र उन निवेशकों की सेवा के प्रयोजनार्थ है जो उनके घटक नहीं हैं। अतः बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों को अप्रतिस्पर्धी बोलियों की निविदा देते समय उनके एसजीएल खाते और सीएसजीएल खाते में जमा होने वाली राशियों (अंकित मूल्य) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। बाद में निवेशक के अनुरोध पर मुख्य एसजीएल खाते से वास्तविक रूप में की गई सुपुर्दगी स्वीकार्य है।

7. यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का उत्तरदायित्व है कि वह ग्राहक को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करे। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहकों को प्रतिभूतियों का अंतरण निर्गम की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।

8. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को यह सेवा देने के लिए प्रति सौ रुपए छह पैसे तक दलाली/कमीशन/सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं। ऐसी कीमत बिक्री मूल्य में शामिल की जा सकती है या ग्राहकों से अलग से वसूल की जा सकती है। ऐसे मामले में जहां प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति की निर्गम तिथि के बाद प्रभावी होता हो, बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल राशि में निर्गम तिथि से उपचित ब्याज शामिल होगा।

9. प्रतिभूतियों की लागत, उपचित ब्याज जहां भी लागू हो, तथा दलाली/कमीशन/सेवा प्रभारों के लिए ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली, बैंक या प्राथमिक डीलर द्वारा ग्राहक के साथ की गई सहमति के अनुसार तैयार की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि कोई अन्य लागत, जैसे निधिकरण लागत को मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए या ग्राहकों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

V. बैंकों तथा प्राथमिक डीलरों को भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) के योजनांतर्गत संचालनों से संबंधित सूचना जो बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर समय-समय पर मंगाई जाए, प्रस्तुत करनी होगी।

VI. ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देश बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन है और तदनुसार, जब भी आवश्यकता होगी, योजना को संशोधित किया जाएगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2004

Auction for Sale (Re-issue) of '6.13 per cent Government Stock, 2028'

F.No. 4(8)-W&M/2004(i).—Government of India hereby notifies sale (re-issue) of '6.13 per cent Government Stock, 2028' for an aggregate amount of Rs. 2,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification') as also the terms and conditions specified in the General Notification F.No. 4(9)-W&M/2000 dated May 6, 2002 issued by Government of India as amended from time to time.

Method of Issue

2. The Government Stock will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400001 in the manner as prescribed in paragraph 5.1 of the General Notification F. No. 4(9)-W&M/2000 dated May 6, 2002 by a price based auction using multiple price auction method.

Allotment to Non-competitive Bidders

3. Government Stock up to 5% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities (Annexure).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400001 on July 1, 2004. The application form duly filled in with the bids should be submitted to the aforesaid office on July 1, 2004, by 12.30 P.M.

Tenure

5. The Stock will be of twenty five year tenure commencing from June 4, 2003. The Stock will be repaid at par on June 4, 2028.

Date of issue and payment for the Stock

6. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its Fort, Mumbai office on July 1, 2004. The payment by successful bidders will be on July 2, 2004 i.e., the date of issue. The payment for the Stock will include accrued interest on the nominal value of the Stock allotted in the auction from the last coupon payment date, i.e., June 4, 2004 to July 1, 2004.

Interest

7. Interest at the rate of 6.13 per cent per annum will accrue on the nominal value of the Stock from the date of last coupon payment and will be paid half yearly on December 4 and June 4.

1994 GI/04-4

By Order of the President of India

K. S. MENON, Jt. Secy.

ANNEXURE

Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities

I. **Scope:** With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities it is proposed to allow participation on *"non-competitive"* basis in *select* auctions of dated Government of India securities. Accordingly, non-competitive bids *up to 5 per cent* of the notified amount will be accepted in the auctions of dated securities. The reserved amount will be **within** the notified amount.

II. **Eligibility: Participation on a non-competitive basis in the auctions of dated GOI Securities will be open to investors who satisfy the following:**

1. do not maintain current account (CA) *or* Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks shall be covered under this Scheme in view of their statutory obligations.

2. make a *single* bid for an amount not more than Rs: two crore (face value) per auction.

3. submit their bid *indirectly* through any *one* bank or PD offering this scheme.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks that maintain SGL account and current account with the Reserve bank of India shall be eligible to submit their non competitive bids directly.

III. **Coverage:** Subject to the conditions mentioned above, participation on "non-competitive" basis is open to any person including firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI. The minimum amount for bidding will be Rs. 10,000 (face value) and thereafter in multiples in Rs. 10,000 as hitherto for dated stocks.

IV. **Other Operational Guidelines:**

1. It will *not* be mandatory for the retail investor to maintain a constituent subsidiary general ledger (CSGL) account with the bank or PD through whom they wish to participate. However, an investor can make only a single bid under this scheme. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to be obtained and kept on record by the bank or PD.

2. Each bank or PD on the basis of *firm* orders submit a single *customer bid* for the aggregate amount on the day of the auction. Details of individual customers' viz. name, amount, etc. shall be provided as an Annexure to the bid.

3. Allotment under the non-competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients.

4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), pro rata allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.

5. **In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion.**

6. Security would be issued *only* in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents. Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non-competitive bids the amounts *(face value)* to be credited to their SGL account and the CSGL account. Delivery in physical form from the main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.

7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within *five* working days from the date of issue.

8. The bank or PD can recover upto six paise per Rs100 as brokerage/commission/service charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients. In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue.

9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client. It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.

V. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.

VI. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.